गाज़ा में बमबारी से 40 मरे

गाजा, 22 जनवरी। दक्षिणी गाजा पट्टी के खान यूनिस शहर पर सोमवार को इजरायल की ओर से किये गये लगातार बमबारी में कम से कम 40 फिलिस्तीनी मारे गए। आधिकारिक फिलिस्तीनी समाचार एजेंसी डब्ल्यूएएफए ने यह जानकारी दी।

प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि शहर के पश्चिमी इलाकों पर इजरायली युद्धक विमानों और तोपखाने की ओर से हिंसक बमबारी की गई। इस दौरान फिलिस्तीनी आतंकवादियों हमास और इजरायली सेना के बीच भीषण लड़ाई हुई। उन्होंने कहा कि उन क्षेत्रों में हजारों विस्थापित फिलिस्तीनी रहते हैं।

गाजा स्थित स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि गाजा पट्टी पर चल रहे इजरायली हमलों में फिलीस्तीनियों मृतकों का आंकडा बढ़ कर 25,295 हो गया है।

अनियंत्रित जीप पलटी, पांच युवकों की मौत

■ **गोगुन्दा-पिंडवाड़ा मार्ग पर उखलियात टनल के पास उस समय यह हादसा हुआ जब मृतक गोगुन्दा से गांव देवला की तरफ लौट रहे थे।**

उदयपुर, 22 जनवरी (कासं)। गोगुन्दा-पिंडवाड़ा मार्ग पर उखलियात टनल के पास एक अनियंत्रित जीप डिवाईडर पर चढ़ कर पलट गई। हादसे में जीप में सवार सभी पांच युवकों की मौत हो गई। सभी युवक गोगुन्दा से अपने गांव देवला की तरफ लौट रहे थे।

जानकारी के अनुसार रविवार रात में जिले के बैकरिया थाना क्षेत्र गोगुन्दा पिण्डवाड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर उखलियात टनल के समीप उदयपुर से जा रही एक अनियंत्रित जीप डिवाईडर पर चढ़कर पलट गई। हादसे की सूचना मिलने पर बैकरिया थानाधिकारी प्रभूसिंह चुण्डावत, गोगुन्दा थानाधिकारी शैतानसिंह और पुलिस उप अधीक्षक कोटड़ा रामेश्वरलाल ने मौके पर पहुंचे तथा जीप में दबे युवकों को बाहर निकाला गया। मृतकों के शव बेकरिया चिकित्सालय पहुंचाए गए। हादसे के बाद रोड पर आवागमन बाधित रहा। इधर सूचना मिलने पर जिला पुलिस अधीक्षक भूवन भूषण यादव एवं जिला कलैक्टर अरविन्द आरोड़ा ने मौके पर पहुंच कर घटना का जायजा लिया। मृतकों की पहचान देवला, घाटा नाड़ी क्षेत्र के रहने वाले भीमा पुत्र हकमा, नाथू पुत्र खैता, पूना पुत्र पीथा, मनोज पुत्र राजाराम तथा मुकेश पुत्र खेता के रूप में हुई है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपे।

'राम मंदिर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

देकर वे इसमें शामिल नहीं हुए। उनके निजी सचिव दीपक चौपड़ा ने खुलासा किया कि, अडवाणी अब 96 वर्ष के हो गए हैं और अपनी उम्र तथा स्वास्थ्य कारणों से अयोध्या की यात्रा नहीं कर सकते हैं।

पार्टी के इस दिग्गज नेता ने आठ पृष्ठों के एक लेख में मंदिर के निर्माण को "दिव्य स्वप्न की पूर्ति" बताया है।

"राम मंदिर निर्माण, एक दिव्य स्वप्न की पूर्ति" शीर्षक वाला यह लेख 76 वर्ष पुरानी हिन्दी साहित्यिक पत्रिका, राष्ट्रधर्म के विशेष अंक में प्रकाशित किया जाएगा।

उक्त रथ यात्रा में मोदी की भूमिका के बारे में अडवाणी कहते हैं, "वो उस समय इतने प्रसिद्ध नहीं थे परन्तु उस समय भी यह स्पष्ट हो गया था कि, भगवान राम ने अपने मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए अपने भक्त (मोदी) को चुन लिया।

क्या कर...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

वाली सरकार, अयोध्या में मस्जिद को ध्वस्त करने के बाद राम मंदिर के निर्माण से सहमत नहीं है। राज्य की भाजपा ईकाई ने आरोप लगाया कि, राम मंदिर उद्घाटन की "लाइव स्क्रीनिंग" दिखाने के लिए जो, "एल.ई.डी. स्क्रीन" लगायी गई थीं उन्हें गिरा दिया गया।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तमिलनाडु सरकार के मौखिक आदेश, जिसमें राज्य के सभी मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के प्रसारण को "बैन" करने को कहा गया था, के खिलाफ दायर एक याचिका के संदर्भ में तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी किया।

अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दिन, शिव सेना (यू.बी.टी.) अध्यक्ष और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने नासिक के गोदावरी तट पर स्थित कालाराम मंदिर में "महाआरती" की। संयोगवश, प्रधानमंत्री मोदी ने भी 12 जनवरी को इस मंदिर में, जिसका रामायण में उल्लेख है, दर्शन किए थे।

'मौन सत्याग्रह'

जयपुर 22 जनवरी । कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को असम की भाजपा सरकार द्वारा रोकने व यात्रा पर हमला करने के विरोध में समस्त जिला कांग्रेस कमेटियों द्वारा 23 जनवरी को सभी जिला मुख्यालयों पर राष्ट्रिपता महात्मा गाँधी की प्रतिमा के समक्ष "मौन सत्याग्रह" किया जाएगा।

■ **राहुल गांधी की यात्रा में आसाम में भाजपा द्वारा पैदा किए गए व्यवधानों के विरोध में राजस्थान कांग्रेस मुख्यालयों में तीन घंटों का मौन सत्याग्रह करेगी।**

यह जानकारी राजस्थान प्रदेश कांग्रेस महासचिव एवं प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी ने दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा जयपुर में गाँधी सर्किल व जवाहर लाल नेहरू मार्ग पर आयोजित होने वाले मौन सत्याग्रह में शामिल होंगे।

दुबई के बुर्ज खलीफा पर भगवान राम की "डिजिटली प्रौजैक्टेड" तस्वीर, इंटरनेट पर वायरल हो रही है।

हिमाचल में 25 से 28 के बीच बर्फ गिरने की संभावना

शिमला, 22 जनवरी। हिमाचल प्रदेश के मध्य व उच्च पर्वतीय भागों में अगले पांच दिनों तक बारिश-बर्फबारी के आसार हैं।

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ 25 और दूसरा 27 जनवरी से सक्रिय होने की संभावना है। इसके प्रभाव से राज्य के मध्य व उच्च पर्वतीय जिलों किन्नौर, लाहौल-स्पीति, शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू और चंबा के कुछ क्षेत्रों में में 25 से 28 जनवरी तक बारिश-बर्फबारी का पूर्वानुमान है। हालांकि, मैदानी भागों में 27 तक

■ **घना कोहरा होने के कारण सुबह के समय "येलो अलर्ट"।**

मौसम साफ रहने के आसार हैं। राज्य में 28 को एक-दो स्थानों पर बारिश हो सकती है। वहीं, सोमवार को राजधानी शिमला में धूप खिलने के साथ हल्के बादल भी छाए रहे। उधर, मैदानी जिलों मंडी, बिलासपुर, ऊना, कांगड़ा (नूरपुर), सिरमौर (पांवटा साहिब और धौलाकुआं) और सोलन (बद्दी) और नालागढ़) में अगले दो दिनों के दौरान सुबह के समय अलग-अलग हिस्सों में घना कोहरा छाए रहने का 'येलो अलर्ट' जारी हुआ है। सुबह के समय सावधानी से यात्रा करने की सलाह दी गई है। सोमवार सुबह भी कई मैदानी क्षेत्रों में कोहरा छाया रहा।

रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने खाटू श्याम जी मंदिर में पूजा अर्चना की।

भरतपुर-धौलपुर जाट समाज का आंदोलन अभी जारी रहेगा

■ **जाट आरक्षण संघर्ष समिति की, मंत्री समूह के साथ पहले दौर की वार्ता सकारात्मक रही, लेकिन नोटिफिकेशन को लेकर बात अटक गई।**

■ **आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ वार्ता होगी**

जयपुर, 22 जनवरी । केंद्र में ओबीसी आरक्षण की मांग को लेकर भरतपुर- धौलपुर जाट समाज का आंदोलन अभी जारी रहेगा। आरक्षण संघर्ष समिति की सोमवार को मंत्री समूह के साथ पहले दौर की वार्ता सकारात्मक रही, लेकिन अधिसूचना को लेकर बात अटक गई। ग्यारह सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल के साथ करीब एक घंटे की वार्ता के बाद तय हुआ कि संघर्ष समिति की मंगलवार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ वार्ता होगी। हालांकि, समिति ने साफ कर दिया कि जब तक आरक्षण को लेकर नोटिफिकेशन जारी नही हो जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा।

आंदोलन संघर्ष समिति के संयोजक नेम सिंह फौजदार ने बताया कि पहले दौर को वार्ता मंत्री कन्हैया लाल चौधरी और विधायक शैलेन्द्र सिंह के साथ हुई। वार्ता के लिए आरक्षण संघर्ष समिति का 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल जयपुर पहुंचा। पहले दौर की वार्ता सकारात्मक रही है, सरकार दो जिलों के जाट समाज को आरक्षण देने के पक्ष में है लेकिन इसका फैसला केन्द्र सरकार के स्तर पर ही हो सकता है।

हमें पूरी उम्मीद है कि डबल इंजन की सरकार समाज की मांग को प्रतिनिधि मंडल में नेम सिंह फौजदार, एडवोकेट दिलीप सिंह, कैप्टन जय सिंह, भोजेंद्र सिंह, धर्मेंद्र सिंह, सुनील सरपंच, ईश्वर सिंह, करतार सरपंच, महाराज सिंह सहित 11 सदस्य मौजूद थे।

गौरतलब हैं कि केंद्र में ओबीसी आरक्षण मांग सहिय तीन मांगों को लेकर भरतपुर और धौलपुर जिले के जाट समाज के लोग 17 जनवरी से जयचोली गांव में महापड़ाव डाले हुए हैं।

'राम मंदिर भारत ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

परीक्षण करने के बाद तथा इस केस से जुड़े सभी पक्षकारों के तर्कों को भी सुनने के बाद सुनाया था।

भागवत ने कहा कि, धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो, भगवान राम देश में बहुसंख्यक समाज के सबसे ज्यादा पूजे जाने वाले देव हैं और अभी भी संपूर्ण समाज उन्हें आचरण आदर्श का प्रतीक मानता है। उन्होंने यह भी कहा कि, "इसलिए, अब मंदिर विवाद के पक्ष व विपक्ष में जो संघर्ष चल रहा था उसका भी अंत हो जाना चाहिए। इस दौरान जो कड़वाहट का वातारवण बना वह भी अब समाप्त होना चाहिए। समाज के प्रबुद्ध लोगों को यह मान लेना चाहिए कि, यह विवाद अब पूर्णरूप से खत्म हो गया है।"

भागवत ने अयोध्या के बारे में कहा, "अयोध्या का मतलब एक ऐसा शहर जहां कोई युद्ध नहीं, एक झगड़ा मुक्त स्थान। इस अवसर पर, संपूर्ण देश में अयोध्या का पुर्ननिर्माण समय की जरूरत है और यही हम सबका कर्तव्य भी है।"

आर.एस.एस. प्रमुख ने कहा कि, अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का अवसर, "राष्ट्र के गौरव की जागृति का प्रतीक है।"

उन्होंने यह भी कहा कि, आधुनिक भारतीय समाज ने श्री राम के चरित्र व उनके जीवन के प्रति दृष्टिकोण को सहज स्वीकार किया है। भागवत ने कहा कि, "मंदिर के पुर्ननिर्माण के साथ ही 22 जनवरी के भक्तिमय समारोह में हम सभी ने भारत के पुर्ननिर्माण का प्रण लिया है और इसके जरिए हम पूरी दुनिया के पुर्ननिर्माण का मार्ग प्रशस्त करेंगे।"

उन्होंने आगे कहा कि, "इस मार्गदर्शक प्रकाश को ध्यान में रखते हुए, आगे बढ़ना ही समय की जरूरत है।"

आर.एस.एस. प्रमुख ने कहा कि, भारत के समाज की आस्था, प्रतिबद्धता और नैतिकता में कभी कमी नहीं आयी।

भागवत ने इतिहास के पृष्ठ पलटते हुए कहा कि, वर्ष 1857 में जब ब्रिटिश शासन के खिलाफ युद्ध की योजनाएं बनायीं जाने लगीं तब हिन्दू और मुस्लिम दोनों ने ही उनके खिलाफ लड़ने की तत्परता जाहिर की थी। तब दोनों समुदायों के बीच विचारों का परस्पर आदान-प्रदान था।

उन्होंने कहा कि, उस वक्त एक ऐसी स्थिति भी बनी थी, जब यह माना गया था कि, "गौ हत्या पर प्रतिबंध लगेगा और श्रीराम जन्मभूमि को मुक्त किया जाएगा। बहादुर शाह ज़फर ने भी गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाये जाने की गारंटी दी थी।" उन्होंने आगे कहा कि, "परिणामस्वरुप, पूरा समाज एक साथ मिलकर लड़ा। भारतीय लोगों ने युद्ध में वीरता का परिचय दिया, लेकिन दुर्भाग्य से स्वतंत्रता का यह संघर्ष विफल हो गया।

तब भारत को स्वतंत्रता नहीं मिली, ब्रिटिश शासन निर्बाध रूप से जारी रहा, लेकिन राम मंदिर के लिए संघर्ष समाप्त नहीं हुआ।"

मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने खाटू...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कलैक्टर कमर उल जमान चौधरी व एसपी अनिल पारिख देशमुख ने अगवानी की।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सुजानगढ़ में सालासर बालाजी के दर्शन किए। पत्नी व पुत्र के साथ आए सीएम शर्मा को पुजारी परिवार के सदस्यों ने विधिवत मंत्रोचारण के साथ पूजा-अर्चना कराई।

मंदिर में उन्होंने देश-प्रदेश की खुशहाली के लिए कामना की। मंदिर पहुंचने पर सीएम शर्मा का हनुमान सेवा समिति संरक्षक महावीर प्रसाद पुजारी, अध्यक्ष यशोदानंदन पुजारी, मांगीलाल पुजारी, कमल पुजारी, कांग्रेस कमेटी पूर्व जिलाध्यक्ष भंवरलाल पुजारी, नितीन पुजारी, रविशंकर पुजारी सहित पुजारी परिवार के सदस्यों ने स्वागत किया।

इसके बाद सीएम का मंदिर के अंदर पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड, राजकुमार रिणवा, पूर्व विधायक अभिनेष महर्षि, पूर्व विधायक खेमाराम मेघवाल, बीदासर प्रधान संतोष मेघवाल, नेता प्रतिपक्ष जयश्री दाधीच ने स्वागत किया। तेलंगाना के संगठन मंत्री चंद्रशेखर भी मुख्यमंत्री के साथ रहे। मुख्यमंत्री ने 51 फीट की ध्वजा बालाजी के चढ़ाई। यह ध्वजा अब बालाजी मंदिर के शिखर पर लहरायेगी।

हैलीपेड पर हुआ स्वागत :- हैलीपेड पर चूरू विधायक हरलाल सहारण, संतोष मेघवाल के नेतृत्व में स्वागत हुआ। हैलीपेड पर चूरू विधायक हरलाल सहारण, संतोष मेघवाल के साथ कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। हैलीपेड पर चूरू विधायक हरलाल सहारण के साथ उनके कार्यकर्ताओं के अंदर चले जाने के बाद सुजानगढ़ के कार्यकर्ताओं को अंदर नहीं जाने दिया गया, जिसे लेकर हंगामा हुआ। बताया गया कि सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया।

असम की ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कल एक रोड शो के दौरान नगाँव के एक ढाबे पर राहुल गांधी को लोगों की एक आक्रोशित भीड़ से दो-चार होना पड़ा था। इन लोगों ने राहुल गाँधी के खिलाफ पोस्टर उठा रखे थे जिन पर समागुरी के कांग्रेस विधायक रकीबुल हुसैन का उल्लेख करते हुए संदेश लिखे थे, "अन्याय यात्रा" और "रकीबुल वापस जाओ।"

राहुल गांधी के नेतृत्व वाली यात्रा ने जब से भाजपा शासित असम में प्रवेश किया है, तभी से वह कई समस्याओं का सामना करती रही है। असम में कांग्रेस के पूर्व नेता ही अब मुख्यमंत्री हैं और वे इस यात्रा को विफल करने के लिए हरसंभव चालें चल रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने अयोग्यता मामले पर शिंदे गुट को नोटिस दिये

■ **उद्धव ठाकरे गुट ने विधानसभा अध्यक्ष से अयोग्यता मामले के फैसले के खिलाफ यह याचिका सर्वोच्च न्यायालय में दायर की थी।**

■ **मुख्यमंत्री शिंदे व अन्य विधायकों को दो सप्ताह में जवाब देने को कहा है।**

नयी दिल्ली, 22 जनवरी। उच्चतम न्यायालय ने अयोग्यता याचिकाओं को खारिज करने के महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के 10 जनवरी के फैसले को चुनौती देने वाली पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (यूबीटी) समूह की याचिका पर सोमवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके समर्थक विधायकों को नोटिस जारी किया।

मुख्य न्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने मुख्यमंत्री शिंदे एवं अन्य विधायकों को दो सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। पीठ ने यूबीटी समूह की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल से कहा कि, संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इसी तरह के एक मामले में उच्च न्यायालय विचार कर ही है और साथ ही पूछा कि, ऐसे में क्या इस अदालत को इस मामले पर विचार करना चाहिए।

इस पर सिब्बल ने कहा कि, मामला इस अदालत के आदेश की व्याख्या से जुड़ा है।इसके बाद पीठ ने नोटिस जारी करते हुए कहा कि वह इस मामले में अगली सुनवाई दो सप्ताह के बाद करेगी।

शीर्ष अदालत में यूबीटी समूह के सुनील प्रभु की ओर से दायर याचिका में दलील दी गई है कि विधानसभा अध्यक्ष के आदेश गैरकानूनी और विकृत थे। विधानसभा अध्यक्ष ने 10 जनवरी को सभी अयोग्यता याचिकाओं को खारिज कर शिंदे के समूह को असली शिवसेना घोषित कर दिया था। याचिकाकर्ता यूबीटी गुट के प्रभु ने विधानसभा अध्यक्ष के 10 जनवरी के फैसले के खिलाफ 15 जनवरी को शीर्ष अदालत में याचिका दायर की थी। उन्होंने अपनी याचिका में कहा कि, निर्णयों की 'पूर्ण विकृति' इस तथ्य से स्पष्ट है कि, अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेते समय अध्यक्ष ने मुख्य निर्विवाद घटना यानी 30 जून 2022 को शपथ ग्रहण पर भी विचार नहीं किया है, जिसने निर्णायक रूप से स्थापित किया कि उनके सभी कार्य (21 जून 2022) का उद्देश्य महाराष्ट्र में अपने ही राजनीतिक दल के नेतृत्व वाली निर्वाचित सरकार को गिराना था।

याचिका में कहा गया,अयोग्यता का इससे स्पष्ट मामला नहीं हो सकता था। शिंदे ने राज्यपाल से मुलाकात की और 30 जून 2022 को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के समर्थन से मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। सभी प्रतिवादी विधायकों ने इस निर्णय का समर्थन किया, जो स्वयं स्वेच्छा से हार मानने के समान था। याचिका में कहा गया है कि दसवीं अनुसूची का उद्देश्य उन विधायकों को अयोग्य ठहराना है, जो अपने राजनीतिक दल के खिलाफ काम करते हैं। हालांकि, यदि अधिकांश विधायकों को राजनीतिक दल माना जाता है, तो वास्तविक राजनीतिक दल के सदस्य बहुमत विधायकों की इच्छा के अधीन हो जाते हैं।

'वकीलों की ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

है कि, "22 जनवरी को वकीलों के कोर्ट में हाजिर ना रहने की वजह से कोई विपरीत आदेश ना जारी किया जाए।

यह बात राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की पृष्ठभूमि में कही जा जा रही है।"

"मैं यह पत्र सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की कार्यकारी कमेटी की तरफ से लिखकर माननीय से अनुरोध करता हूँ कि, सुप्रीम कोर्ट की सभी बैंचेज़ को यह सलाह दी जाए कि, अयोध्या में श्रीराम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को ध्यान में रखते हुए 22.01.2024 को लिस्टेड केसों में एडवोकेट्स के हाजिर ना होने पर कोई विपरीत आदेश जारी नहीं किया जाए।"

"इसलिए, मैं माननीय से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि, सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री को इस संदर्भ में एक सार्वजनिक अधिसूचना जारी करने की सलाह दी जाए।"

'यह भारतीय संस्कृति में...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

लोग कहते थे कि राम मंदिर बना तो आग लग जाएगी। ऐसे लोग भारत के सामाजिक भाव की पवित्रता को नहीं जान पाए। रामलला के इस मंदिर का निर्माण, भारतीय समाज के शांति, धैर्य, आपसी सद्भाव और समन्वय का भी प्रतीक है। हम देख रहे हैं, ये निर्माण किसी "आग" को नहीं, बल्कि "ऊर्जा" को जन्म दे रहा है। राम मंदिर समाज के हर वर्ग को एक उज्जवल भविष्य के पथ पर बढ़ ने की प्रेरणा लेकर आया है।

उन्होंने कहा, रामलला की ये प्रतिष्ठा "वसुधैव कुटुंबकम्" के विचार की भी प्रतिष्ठा है। उन्होंने कहा कि आज अयोध्या में, केवल श्रीराम के विग्रह रूप की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है। ये श्रीराम के रूप में साक्षात् भारतीय संस्कृति के प्रति अटूट विश्वास की भी प्राण प्रतिष्ठा है।

प्रधानमंत्री ने राम मंदिर विवाद के समाधान में भूमिका के लिए न्यायपालिका का आभार जताया और कहा कि मंदिर का निर्माण न्याय के मार्ग से हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्रीराम भारत के संविधान के प्रथम पृष्ठ पर उपस्थित हैं लेकिन संविधान के अस्तित्व में आने के बाद भी दशकों तक प्रभु श्रीराम के अस्तित्व को लेकर कानूनी लड़ाई चली। मैं आभार व्यक्त करूंगा भारत की न्यायपालिका का जिसने न्याय की लाज रख ली । न्याय के पर्याय प्रभु राम का मंदिर भी न्यायबद्ध तरीके से बना। प्राण प्रतिष्ठा समारोह का दुनिया भर में सीधा प्रसारण किया गया।

प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के लिए पिछले 11 दिन से कठिन उपवास, भूमि शयन और तीर्थाटन के बाद प्रात: सरयू स्नान करके आये मोदी ने कहा, आज हमें सदियों के धैर्य की धरोहर मिली है, आज हमें श्रीराम का मंदिर मिला है। आज से हजार साल भी लोग इस तारीख और इस पल की चर्चा करेंगे।

मोदी ने कहा कि, आज इस ऐतिहासिक समय में देश उन व्यक्तित्वों को भी याद कर रहा है, जिनके कार्यों और समर्पण की वजह से आज हम ये शुभ दिन देख रहे हैं।

"श्रीराम ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

परिवहन, उचित भोजन व स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का ख्याल रखेंगे।"

उन्होंने यह भी बताया कि, पार्टी ने इस पवित्र नगरी में लगभग 25,000 आगन्तुक भक्तों के ठहरने हेतु आवास की व्यवस्था की है। भक्तों से अनुरोध किया गया था कि, सोमवार को प्राण प्रतिष्ठा के समय वे अयोध्या में जरुरत से ज्यादा भीड़ नहीं करें।

प्राण प्रतिष्ठा के सीधे प्रसारण पर तमिलनाडू सरकार की रोक पर सर्वोच्च न्यायालय ने आपत्ति जतायी

■ **तमिलनाडू सरकार को 29 जनवरी तक पक्ष प्रस्तुत करने को कहा।**

नयी दिल्ली, 22 जनवरी। उच्चतम न्यायालय ने अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के सीधे प्रसारण और राज्य में पूजा और भजन करने पर तमिलनाडु सरकार की ओर से कथित तौर पर प्रतिबंध लगाने संबंधी मौखिक आदेशों पर सोमवार को आपत्ति जताई।

तमिलनाडु सरकार का पक्ष रख रहे अतिरिक्त महाधिवक्ता अमित आनंद तिवारी ने हालांकि अपनी ओर से अदालत के समक्ष कहा कि, ऐसा कोई मौखिक आदेश नहीं दिया गया है।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने चेन्नई निवासी विनोज की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि राज्य के अधिकारी इस आधार पर पूजा और अन्य समारोह आयोजित करने के आवेदन को खारिज नहीं कर सकते कि संबंधित क्षेत्रों में अल्पसंख्यक रह रहे हैं। शीर्ष अदालत ने तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी करते हुए कहा कि वह 29 जनवरी तक अपना पक्ष अदालत के समक्ष रखे।

पीठ ने सुनवाई के दौरान तमिलनाडु के अतिरिक्त महाधिवक्ता तिवारी से कहा, "हम स्पष्ट करते हैं... इस कारण (अल्पसंख्यक के कारण) से ऐसा न करें। यह कोई आधार नहीं हो सकता। आप आंकड़े रखते हैं कि कितने आवेदनों को अनुमति दी गई या कितने को अस्वीकृत किया गया। यदि यही कारण है तो आप (सरकार) समस्या में पड़ जाएंगे।"

शीर्ष अदालत के समक्ष तिवारी ने अपनी ओर से कहा कि ऐसा (पूजा और भजन पर प्रतिबंध) कोई मौखिक आदेश जारी नहीं किया गया है। अतिरिक्त महाधिवक्ता ने कहा, कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। यह राजनीति से प्रेरित है।

पीठ ने कहा, हम मानते और विश्वास करते हैं कि अधिकारी कानून के अनुसार काम करेंगे न कि किसी मौखिक निर्देश के आधार पर। अधिकारियों को कानून के अनुसार काम करना चाहिए और प्राप्त आवेदनों का रिकॉर्ड भी बनाए रखना चाहिए। उन्हें प्राप्त आवेदनों की जांच करनी चाहिए और स्पष्ट आदेश पारित करना चाहिए।

पीठ ने मौखिक रूप कहा, यह एक समरूप समाज है। केवल इस आधार पर न रोकें (आवेदन को) कि वहां ए या बी समुदाय है। अस्वीकृति के लिए किस प्रकार के कारण दिए जाते हैं? यह कारण कैसे दिया जा सकता है कि हिंदू किसी स्थान पर अल्पसंख्यक हैं, इसलिए आप अनुमति नहीं देंगे। ये कारण अनुचित हैं। अगर इस कारण का पालन करना है तो यह राज्य भर में नहीं हो सकता है।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कुछ पुलिस स्टेशनों ने इस तरह का आदेश पारित किया है। उन्होंने कहा कि आसपास रहने वाले ईसाई या अन्य समुदाय कभी समस्या नहीं हो सकते।

इस पर तिवारी ने पूछा कि अगर वे मस्जिद के सामने जुलूस निकालना चाहते हैं तो क्या होगा।

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा राष्ट्रदूत प्रेस, जी1/63 इंडस्ट्रीयल एरिया फेस प्रथम, जालौर, (राज.) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. RAJHIN/2006/17286 जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908